संख्या- 02/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 7 जनवरी, 2025

विषयः- बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु जनपद पीलीभीत में प्रयुक्त किये गये वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के किराये के भुगतान हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डिप्टी डायरेक्टर एकाउन्टस, एयर हेडक्वार्टर, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली के पत्र संख्या-Air HQ/26001/SG-UP/Accts. दिनांक 14.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद पीलीभीत में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त भारतीय वायु सेना के विमान/हेलीकॉप्टर के किराये के निम्नवत लम्बित बिल का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S. Num.	Bill Num.	Date	Amount (Rs.)
(i)	SGUP/01/2024-25	14-08-2024	23,63,500.00

2- अवगत कराना है कि वायुसेना द्वारा प्रेषित बिल में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये वायुसेना के विमान/हेलीकॉप्टर के सम्बन्ध में जनपद पीलीभीत द्वारा एयरलिफ्ट की सेवाएं लिये जाने की पुष्टि की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	जनपद	बिल संख्या	बिल की धनराशि	सत्यापित धनराशि
1.	पीलीभीत	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/01/2024-25	23,63,500/-	23,63,500/-

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्टी डायरेक्टर एकाउन्टस, एयर हेडक्वार्टर, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमान/हेलीकॉप्टर के किराये हेतु मांगी गयी धनराशि रू0 23,63,500/- के सापेक्ष जनपद पीलीभीत से प्राप्त सत्यापन के दृष्टिगत वायु सेना को रू0 23,63,500/- का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 रू0 23,63,500/- (तेइस लाख तिरसठ हजार पांच सौ) की धनराशि जिलाधिकारी, पीलीभीत के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु वायुसेना द्वारा राहत बचाव एवं अन्य कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमान/हेलीकॉप्टर के किराये सम्बन्धी सत्यापित बिल के सापेक्ष तत्काल वायुसेना को भुगतान की जाएगी।

(2) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार किया किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- उक्त व्यय रू0 रू0 23,63,500/- (तेइस लाख तिरसठ हजार पांच सौ) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05- स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड 800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 02(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- मण्डलायुक्त, बरेली।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4- डिप्टी डायरेक्टर एकाउन्टस, एयर हेडक्वार्टर, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद पीलीभीत।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-07/01/2025

प्रेषण संख्या:- 02
आवंटन आदेश संख्या:- 002-02
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2363500 121683500	2363500 121683500
	योग	वर्तमान प्रगामी	2363500 121683500	2363500 121683500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार पाँच सौ

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।